# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 244/2020/223 (2020/00244)

1. रामप्यारी पुत्री सुवालाल पत्नि रामधन, जाति रैगर, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जयपुर जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 25.11.2020 अंतर्गत वाद संख्या 233—बी/2013.

उपस्थितः—

1. श्री हेमसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

## निर्णय

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत रेस्पो0 के विरूद्ध वाद पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 931 वाके ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसका रकबा करीब 266 बीघा था, उक्त रकबे में से वादीनी के पिता स्व0 सुवालाल को 15 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था जिसका गैर खातेदारी का नामांतकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया तथा मौके पर कब्जा वादीनी के पिता सुवा को संभला दिया गया । मृतक सुवा के आवंटन के बाद खसरा नंबर 931/2/1096 कायम हुए । वर्तमान में खसरा नंबर 931/1/1 है । स्व0 सुवालाल आजीवन काबिज काश्त रहा करीब 10 साल पूर्व सुवा की मृत्यु हो गई, वादीनी की माता का भी देहावसान हो गया, वादीनी ही स्व0 सुवा की एकमात्र उत्तराधिकारीणी है। वादीनी के अलावा स्व0 सुवालाल के अन्य कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है ना ही सुवालाल व उसकी पत्नी ने किसी को गोद लिया है । स्व0 सुवालाल अनपढ़ व अनुसूचित जाति का सदस्य था जिसे राजस्व रिकार्ड का ज्ञान नहीं था । काफी लंबे समय तक बीमार रहने के कारण सुवा का देहाससान हो गया । वादीनी भी अनपढ़ महिला है वह नामांतकरण प्रकिया में नहीं समझती है । वादीनी आज दिवस तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । दिनांक 25.3.2011 को वादीनी ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबंदी की नकल ली तब उसे ज्ञात हुआ कि जमाबंदी उसके नाम

से नहीं है इसलिये उसे ऋण प्राप्त नहीं हो सकता है । वादीनी को पटवारी हल्का ने धमकी दी कि यह जमीन तुम्हारे नाम नहीं है यह जमीन किसी अन्य को आवंटित की जावेगी, यदि वर्तमान अंकन के आधार पर वादीनी को बेदखल कर दिया गया अथवा वादीनी की जमीन को किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया तो वादीनी को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः वाद वादीनी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 931 में वादीनी के पिता सुवा को आवंटित हुई 15 बीघा भूमि का वादीनी को खातेदार कातश्कार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2020 को वादी का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजी खसरा संख्या 931 का कुल रकबा 266 बीघा था जिसमें से अपीलांट के पिता सुवालाल को 15 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 9.6.1965 को किया गया था आवंटन के बाद मौके पर कब्जा संभलाये जाने के बाद पश्चात्वर्ती राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खारड़ा अंकन कर दिया गया तथा आवंटी विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहा। आवंटनशुदा खसरा नंबर 931 में बटा नंबर 931/1/1 है । वाद दायरी के 10 वर्ष पूर्व आवंटी सुवालाल की मृत्यु हो गई थी । अपीलांट की माता का भी पूर्व में देहांत हो चुका है । आवंटी सुवालाल के एकमात्र पुत्री अपीलांट ही है । सुवालाल अनपढ़ अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है उसे राजस्व रिकार्ड का ज्ञान नहीं था । सुवालाल की मृत्यु उपरांत विरासत का नामांतकरण नियमानुसार अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था । बहस में आगे कथन किया कि आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का दायित्व राजस्व एजेन्सी का है । अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम की है किन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । अपीलांट ने तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु आवंटन आदेश प्रदर्श–2 पेश किया तथा मौखिक बयान पेश किये है । जिसका खण्डन रेस्पो0 द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में खण्डन के अभाव में वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने हेतु अपीलांट ने ग्राम पंचायत गैजी का प्रमाण पत्र पेश किया है । अपीलांट विवादित आवंटित आराजी पर पूर्व में आवंटी सुवालाल तथा वर्तमान में अपीलांट स्वंय काबिज काश्त है । रेस्पो0 द्वारा कभी भी बेदखल किये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है जिससे भी स्पष्ट था कि विवादित आराजी पर अपीलांट ही काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि में आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1090, आर0आर0टी0 2003 पार्ट–1 पेज 709, आर0आर0डी0 1990 पेज 262, ए0आई0आर0 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 736 एवं आर0आर0डी0 1998 पेज 44–45 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में खसरा संख्या 931/1/1 रकबा 5 बीघा गै0मु0

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खारडा सरकारी दर्ज है जबकि वादिया ने अपने वाद में मूल खसरा नंबर 931 रकबा 15 बीघा के बाबत् वाद पेश किया है । खसरा नंबर 931 रकबा 15 बीघा का सुवा को आवंटन अवश्य किया गया है किन्तु आवंटन उपरांत सुवा के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण खुलने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । आवंटी को 15 बीघा भूमि आवंटन की गई थी किन्तु वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 931 के कई टुकड़े हो चुके है एवं खसरा नंबर 931/1/1 में मात्र 5 बीघा भूमि ही शेष बची है । मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है जिसके नाम कभी भी गैर खातेदार अथवा खातेदारी दर्ज नहीं रही है । ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान अधी0नया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नंबर 931 में 15 बीघा भूमि अपने पिता सुवा को दिनांक 9.6.1965 को आवंटन होने के आधार पर स्वंय को खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश किया है किन्तु उक्त आवंटन के उपरांत उसके पिता सुवा को कभी आवंटन की पालना में गैर खातेदार अंकित किये जाने तत्पश्चात् खातेदार अंकित किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अपीलांट के पिता सुवा की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में आवंटन की पालना में सुवा के नाम गैर खातेदार अथवा खातेदारी का अंकन नहीं होने से अपीलांट के नाम उक्त आवंटन के आधार पर खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

# डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)**

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः— **श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.**

रामप्यारी पुत्री सुवालाल पत्नि रामधन जाति रैगर निवासी गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जयपुर जिला जयुपर व अन्य ।

— — —

अपील संख्या 244/2020 (2020/00244) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, दूदू मुबर्खे 25 माह 11 सन् 2020, प्रकरण संख्या 233 बी/2013,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 31 माह 08 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री हेम सिंह वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री विकास पाराशर (रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 राजकीय अभिभाषक समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:—**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2020 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—X— रूपये—X—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का—X— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 31 माह 08 .सन् 2021 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

| अपीलांट | रूपये | पैसे | रेस्पोडेन्ट | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अपील | — | | 1.स्टाम्प वकालतनामा | — | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | — | | 2.स्टाम्प अर्जी | — | |
| 3.इजराय हुक्मनामा | — | | 3.इजराय हुक्मनामा | — | |
| 4.वकील फीस बाबत् | — | | 4.महनताना वकील | — | |
| मीजान | — | | मीजान | — | |

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।